जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 36 संख्याः 187 प्रभात अजमेर, गुरूवार 12 फरवरी, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भाजपा राहुल गांधी को घेरने की फिराक में है

पर, पार्टी में मतभेद हैं कि राहुल को पुनः संसद से ''डिस्क्वालिफाई'' करा दिया जाता है तो वे ''हीरो'' के रूप में उभर सकते हैं तथा जनता में उनके प्रति सहानुभूति उभरेगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कमर कस ली है, और उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे है और उसे लेकर भाजपा कार्रवाई करना चाहती है।

यह अवसर आज तब आया, जब बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में शामिल होने के संबंध में लिया।

इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी पर दबाव था, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में एक मामला चल रहा था, और चूंकि अडानी मोदी के वित्तीय सहयोगी और आर्किटेक्ट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव था और उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मामले में ट्रम्प के सामने समर्पण कर दिया।

- पर, दूसरी सोच यह है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है तथा अगर भाजपा से नज़दीकी रखने वाले चुनाव आयुक्त हों तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव छः महीने नहीं होने दे।
- पर, बहरहाल अभी तो इस बात पर भाजपा में आम सहमति बनी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन में ''प्रिवलेज'' प्रस्ताव तो लाया ही जाए, जिस तरह बजट पर बोलते हुए उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी व बिज़नैसमैन अनिल अंबानी पर लांछन लगाया कि उनके नाम ''एप्स्टीन फाइल्स'' में आये हैं।
- भाजपा, इस बात से भी काफी उत्तेजित है कि जिस तरह राहुल गांधी ने प्र.मंत्री पर कई आरोप लगाए, अमेरिका के सामने आत्म समर्पण किया। पर, दुविधा यह है कि भाजपा निश्चित नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी से किस तरह डील किया जाए।

सूत्रों का कहना है कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।

सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार और भाजपा में इस पर मतभेद है कि क्या राहुल गांधी को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

एक गुट का मानना है कि यह कदम अक्लमंदी नहीं होगा, क्योंकि इससे राहुल गांधी एक ''हीरो'' बन जाएंगे तथा और अधिक लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे।

दूसरा गुट, जो सख्त रुख अपनाए हुए है, उसका कहना है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए।

यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सरकार का आज्ञाकारी चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव 6 महीने से पहले नहीं कराए जाएं।

लेकिन वे राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहते हैं।

राहुल गांधी के मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ तीखे शब्दों ने सरकार को आहत किया है, लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया जाए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली, 11 फरवरी। केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन से रिहा नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ को बताया कि अदालत के अनुरोध पर स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन की समीक्षा के लिए गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। मेहता ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार, वांगचुक की 28 बार चिकित्सकीय जांच की गई है और वे स्वस्थ, ठीक-

- केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया।

ठाक और सामान्य हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पाचन संबंधी समस्या हुई थी, जिसका इलाज चल रहा है और कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पिछली सुनवाई में जस्टिस वराले ने मौखिक रूप से वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई थी और डिटेंशन पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था, जिस पर न्यायमूर्ति कुमार ने भी सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को पूरी तरह नकार रही हो।

'राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सभी 6 अंतरे बजाना अनिवार्य होगा'

केन्द्र सरकार ने स्कूलों व सरकारी कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। एक राजनीतिक विवाद को फिर से जन्म देने की संभावना की कार्यवाही के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो सरकारी आयोजनों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के सभी छह अन्तरों को गाने की अनिवार्यता तय करते हैं। नए दिशा-निर्देशों में यह भी निर्देश है कि गीत नागरिक पुरस्कार समारोहों में और राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के दौरान बजाया जाए। सिनेमा हॉल्स को भी यह गीत बजाना आवश्यक होगा, हालांकि गीत के दौरान वहां बैठे लोगों को खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा।

कांग्रेस, जिसने ''वन्दे मातरम्'' को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, जाहिर तौर पर सभी छह अन्तरों को अपनाने के विचार से असहज रही है, क्योंकि बाद के अन्तरों में देवी दुर्गा की वंदना की गई है। अक्टूबर 1937 में, कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केवल पहले दो अन्तरों को अपनाया गया था, ताकि कथित तौर पर, गीत की धर्मनिरपेक्ष अपील बनी रहे।

- केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रगीत वंदे मातरम् , राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया जाएगा। सिनेमा घरों में भी गीत बजाया जाएगा, पर, इसके लिए खड़े होना अनिवार्य नहीं है।
- ज्ञातव्य है कि कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था, तब इसके तीन अंतरे ही मंजूर किए थे। बाद के तीन अंतरे छोड़ दिए गए थे, जिनमें हिंदू देवी मां दुर्गा की वंदना की गई थी।
- यह गीत 7 नवम्बर 1875 में लिखा गया था, गत वर्ष नवम्बर में इसकी 150वीं जयन्ती पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर भाजपा ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक आधार पर गीत को विभाजित करने का आरोप लगाया था।

देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने और देश की धरोहर पर पुनः दावा करने के अपने प्रयासों के तहत, एनडीए सरकार गीत को वह महत्व देने की कोशिश कर रही है, जिसके योग्य यह गीत है। पिछले साल नवंबर से, सरकार राष्ट्रीय गीत, जिसे 7 नवम्बर, 1875 को रचा गया था, के 150 वर्ष की वर्षगांठ का एक वर्ष लंबा उत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री ने एक विशेष स्मारिका डाक टिकट और सिक्का जारी करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डॉक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा जाए'

एक जनहित याचिका में की गई इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया तथा जवाब मांगा यह याचिका हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है, जिसमें 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों को बाहर करने की मांग की गई है।

इस जनहित याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, जो मरीजों को उपभोक्ता अदालतों में दावा करने की शक्ति देता है, चिकित्सा लापरवाही के लिए हर्जाना मांगने का अधिकार प्रदान करता है, और इसमें चिकित्सा पेशेवरों को शामिल करना ''डॉक्टर-पेशेंट रिश्ते के विश्वास को कमज़ोर करता है और चिकित्सा प्रैक्टिस की नैतिक नींव को नष्ट करता है।''

- सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ हैल्थकेयर प्रोवाइडर्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
- उपभोक्ता/संरक्षण कानून में चिकित्सा सेवा को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक फैसले में कहा था कि अगर डॉक्टर निःशुल्क सेवा नहीं दे रहे हों तो उनके द्वारा दिया गया इलाज उपभोक्ता सेवा के दायरे में ही आता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) एसोसिएशन (एएचपी) और इसके पूर्व अध्यक्ष, बेंगलुरु के एक डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि चिकित्सा सेवाओं पर उपभोक्ता कानून लागू करने से चिकित्सा प्रैक्टिस में रक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा लापरवाही की जांच करने के लिए अन्य, अधिक उपयुक्त तंत्र हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तीन साल से एक जगह तैनात अफसरों का तबादला होगा'

कोलकाता, 11 फरवरी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किया बड़ा फैसला।

निर्देश के अनुसार, यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी का रुख भारत के प्रति नरम हुआ

जमात के नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के लिए बेहद जरुरी हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। बांग्लादेश में गुरुवार को होने वाले अहम चुनाव से एक दिन पहले, जिसमें नई सरकार चुनी जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, जमात का एक प्रमुख उम्मीदवार चर्चा में है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासेम अरमान एक हाई-प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं।

अगस्त 2024 से बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, क्योंकि जुलाई 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को हटा दिया गया था।

तब से ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा। इस दौड़ में दो मुख्य दावेदार हैं, पहली है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), और दूसरी है, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी है और समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।

- जमात के एक कद्दावर नेता, मीर अहमद बिन कासेम अरमान, जो ढाका-14 से चुनाव लड़ रहे हैं, का मुकाबला बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी की ताकतवर नेता संजीदा इस्लाम से है। अरमान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए जरुरी हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा।
- बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद वहाँ निर्वाचित सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल मरहूम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी आगे चल रही है, जिसे उदारवादी छवि के कारण सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।
- लेकिन, जमात का बदलता रुख संकेत दे रहा है कि अपने भारत विरोधी और पाक समर्थक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी जमात भारत के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है।

ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार अरमान एक हाईप्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं। वे बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के पीड़ित रह चुके हैं। वे बीएनपी की उम्मीदवार संजीदा इस्लाम उर्फ तुली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 'मदर्स कॉल' नाम के संगठन की समन्वयक हैं। यह संगठन जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों द्वारा बनाया गया है। अरमान ने कहा, ''हम फिर से तानाशाही नहीं चाहते। मैं जबरन गायब किए जाने का शिकार रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जनमत संग्रह में 'हां' की जीत होगी।''

अरमान जमात के बड़े नेताओं में से एक हैं और भारत के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रितु तावड़े बनीं मुम्बई की मेयर

मुंबई, 11 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद रितु तावड़े बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद संजय घाड़ी उपमहापौर बने हैं। इसकी घोषणा बुधवार को बीएमसी मुख्यालय में निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने की।

आयुक्त गगरानी ने कहा कि महापौर पद के लिए केवल भाजपा पार्षद रितु तावड़े का ही नामांकन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें बीएमसी का महापौर घोषित किया जाता है। इसी तरह, उपमहापौर पद के लिए केवल संजय घाड़ी का ही नामांकन प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें उपमहापौर घोषित किया जाता है।

- शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाड़ी बने डिप्टी मेयर।

इस दौरान, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रितु तावड़े और संजय घाड़ी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आपने भारत माता को बेच दिया, आपको शर्म नहीं आ रही'

राहुल गांधी ने सदन में प्र.मंत्री मोदी पर लांछन लगाया कि देश का मार्केट अमेरिका के कृषि उत्पादनों व डेयरी प्रॉडक्ट के लिए खोलकर करोड़ों भारतीय किसानों के जीविकोपार्जन को खतरे में डाल दिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 फरवरी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिका के साथ हुए व्यापार और टैरिफ समझौते को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के कृषि और डेयरी मार्केट को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोलकर ''भारत माता को बेच दिया'' है।

गांधी ने गजरते हुए कहा कि सरकार को ''शर्म आनी चाहिए''। उन्होंने विपक्षी नेताओं की इस आलोचना को दोहराया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने अमेरिकी सामान को भारत में आने की अनुमति देकर करोड़ों किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों, तथा उनसे जुड़े उद्योगों की रोजी-रोटी को खतरे में डाल दिया है।

उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह दावा था कि अमेरिका के टैरिफ, 2025 से पहले के औसत तीन प्रतिशत, जो बेसलाइन एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दरों का हिस्सा थे, से बढ़कर इस महीने हुए समझौते के बाद 18 प्रतिशत हो गए हैं।

बीच में, डॉनल्ड ट्रंप ने अनुचित टैरिफ की शिकायत की और ''रैसिप्रोकल'' शुल्क लागू करने की घोषणा की, तब ये दरें 50 प्रतिशत तक पहुंच गई थीं। इसके बाद भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत की ''पैनल्टी'' भी लगाई गई थी।

- राहुल गांधी ने कहा, ट्रेड डील से अमेरिका का टैरिफ तीन प्रतिशत से बढ़ाकर अब 18 प्रतिशत करना स्वीकार कर लिया गया है।
- ट्रेड डील में राहुल गांधी के अनुसार, हम पर लागू टैरिफ तीन प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है, पर, अमेरिका पर भारत द्वारा लगाया गया टैरिफ अब 16 प्रतिशत से घट कर ज़ीरो प्रतिशत हो गया है।
- साथ ही, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर कई प्रतिबद्धताएं लागू हो गई हैं, नई ट्रेड डील से, पर, अमेरिका पर कोई शर्त या प्रतिबद्धता लागू नहीं हुई है।
- राहुल के अनुसार, भारत नई ट्रेड डील में 500 अरब डॉलर की एनर्जी व अन्य टैक्नॉलजी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेगा, पर, भारत का अमेरिका को निर्यात जो अभी 46 अरब डॉलर है, से बढ़कर 176 अरब डॉलर ही हो पाएगा।

गांधी ने कहा, ''आपने भारत को बेच दिया... क्या भारत को बेचने में आपको शर्म नहीं आती?'' उन्होंने कहा, ''इतिहास में पहली बार हमारे किसान बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और आपने हमारे गरीब किसानों को कुचलने के लिए दरवाजा खोल दिया है।''

उन्होंने कहा, ''किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले ऐसा नहीं किया।'' उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि इस समझौते में ''कोई तर्क नहीं'' है।

उन्होंने कहा, ''आपने यह क्या किया... शुरुआत में तीन प्रतिशत औसत था। अब यह 18 प्रतिशत हो गया है, यानी छह गुना बढ़ोतरी। अमेरिका से आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर हो जाएगा... यह पूरी तरह बेतुका है।''

गांधी ने कहा, ''उनकी हमारे प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है... लेकिन हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है।'' गांधी उस प्रावधान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैनग्विन रैंडम हाउस को नोटिस

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने पैनग्विन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक को लेकर दर्ज मामले में और सीक्रेट एक्ट व कॉपी राइट की धाराएं भी जोड़ी हैं।

- दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के मामले में इस पब्लिशिंग हाउस से जवाब तलब किया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)